न्यायालय–न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय दौसा, जिला दौसा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी–पुलकित शर्मा, आर.जे.एस.
(UID No. RJ01446)
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–346/2020
(CIS No. 3974/2020)
CNR No. RJDS020016952020

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान

बनाम

रामहेता उर्फ रामावतार पुत्र गंगासहाय मीना उम्र 39 वर्ष निवासी–सूरजपुरा थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान। **–– अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से

02.श्री किशनलाल मीना, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

निर्णय **दिनांकः 01.08.2026**

1– हस्तगत प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2020 में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश होने पर दिनांक 04.09.2020 को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाने से हुआ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी रामखिलाडी द्वारा तहरीर रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि परिवादी की खातेदारी की भूमी ग्राम सूरजपुरा मे स्थित है। परिवादी की उक्त खातेदारी भूमी पर जबरन रामहेता पुत्र गंगासहाय, सीताराम पुत्र गंगासहाय, लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगासहाय, आशीष पुत्र सीताराम, लल्यो पुत्र जुगन्यो, रामहरि पुत्र जुगन्यो, रामसिंह पुत्र जुगन्यो, जुगन्यो पुत्र गन्यो, गंगासहाय पुत्र गन्यो निवासी सूरजपुरा ने एक राय होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमी मे जेसीबी लगाकर मिटटी उठा ली तथा जबरन खातेदारी भूमी मे पत्थर गाड दिये। गांव के दो आदमी जाकर उक्त लोगो को समझा कर भी आये, लेकिन उक्त लोग मानने को तैयार नही है। परिवादी द्वारा मना करने पर आज दिनांक 10 बजे सुबह उक्त लोगो के द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट की गई जिसके चोटों के निशान परिवादी के मुंह व शरीर पर मौजूद है। परिवादी की खातेदारी भूमी मे उक्त लोगो ने जबरन तारबन्दी कर दी। परिवादी की पुत्री हेता व लक्ष्मा समझाईश कर रोकने गई तो परिवादी की पुत्रियों के पीछे दौड़ दोड लगाई व मारपीट करने की धमकी दी। उक्त घटना से प्रार्थी व प्रार्थी का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है....इत्यादि।

3– उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2020 अंतर्गत धारा 323, 341, 143, 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुयी जिस पर बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा द्वारा आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता का प्रसंज्ञान दिनांक 04.09.2020 को लिया गया।

4– दिनांक 04.09.2020 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार अन्वीक्षा चाही। अभियुक्त को उक्त अपराध धाराओं का अपराध सारांश सुनाया गया तब अभियुक्त उक्त अपराध धाराओं के आरोप सारांश के भुलावे में भी नहीं रहे है।

5– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परिक्षित करवाये गये।

क्रम संख्या	नाम
पीडब्ल्यू–1	रामखिलाडी
पीडब्ल्यू–2	हरफूल
पीडब्ल्यू–3	मुकेश
पीडब्ल्यू–4	हेता मीना
पीडब्ल्यू–5	गोपाल
पीडब्ल्यू–6	नरेन्द्र
पीडब्ल्यू–7	डॉ चेन सिंह
पीडब्ल्यू-8	गोतम

साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

दस्तावेजी विवरण	प्रदर्श
तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–2
आहत रामखिलाडी का चोट प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–3
चाकशुदा एफ आई आर	प्रदर्श पी–4
पुलिस बयान गवाह हरफूल	प्रदर्श पी-4

6– अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया है कि उसे झूठा फंसाया है। वह निर्दोष है। अभियुक्त ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

Pulkit Sharma. R.J.S.
UID No. RJ01446
01.08.2026

7– बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क प्रस्तुत किये है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने मे सफल रहा है। अभियोजन अधिकारी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत अप्पा भाई व अन्य बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1988 एस सी 696 को पेश किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

8– अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दौराने मौखिक बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। परिवादी ने तथ्यों को तोड़मरोड़ मिथ्या कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य से मामले को पूर्णतय साबित नहीं किया है। ऐसे में अभियोजन की कहानी संदेह से परे प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं हुयी है। अभियुक्त को झूंठा फंसाया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9– प्रकरण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

"आया दिनांक 09.07.2020 को समय सुबह 10.00 बजे के आसपास स्थान परिवादी रामखिलाड़ी की सूरजपुरा स्थित खातेदारी भूमि पर अभियुक्त द्वारा मिट्टी उठायी जाने व पत्थर गाड़ने पर जब परिवादी ने मना किया तो अभियुक्त ने परिवादी को स्वेच्छा रोक सदोष अवरोध कारित कर परिवादी के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की"?

02. यदि हाँ , तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

10– विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 09.07.2020 को अभियुक्त द्वारा परिवादी की सूरजपुरा स्थित खातेदारी भूमि पर पत्थर गाड़े जा रहे थे व मिट्टी उठाई जा रही थी तो परिवादी के मना करने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ मारपीट करने के तथ्य आये है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में सर्वप्रथम परिवादी रामखिलाडी की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उक्त को अभियोजन की ओर से प्रकरण में पी डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मौखिक साक्ष्य के सशपथ कथनों में उसके गाँव की खातेदारी जमीन पर रामहेत व उसके परिवारजन द्वारा जबरन कब्जा करना चाहना, जिनके द्वारा जे. सी. बी. से मिट्टी उठा लेना तथा पत्थर गाड़ देना व रामहेत को अपने हिस्से की जमीन लेने के लिये कहने पर रामहेत द्वारा उसके साथ मारपीट करन देना

बताया है। गवाह ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 दर्ज कराया जाना, जिसके सुसंगत भागों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने रामहेत का स्वयं का चाचा का लड़का होना और उनके बीच जमीन का विवाद चल रहा होना व लक्ष्मीनारायण, आशीष, रामसिंह वगैरह द्वारा उसके साथ मारपीट की जाना बताया है।

11– परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 04 हेता ने अपनी मौखिक साक्ष्य की मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में उसके पिताजी रामखिलाड़ी के साथ रामोतार उर्फ रामहेत द्वारा पत्थर से मारपीट की जाना, जिससे उसके पिताजी का चोटग्रस्त होना बताया है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उस समय वह और उसके पिताजी खेत में जा रहे थे। उसके पिताजी से उसने कहा कि उनके खेत की डोले पर पत्थर क्यों उखाड़ रहे हो, इतना ही कहा था और वो पत्थर की मारकर भाग गया। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने रामहेत का स्वयं का चाचा लगना और रामहेत के साथ उनका जमीन का विवाद चल रहा होना बताया है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि वह उस समय वहां नहीं थी, उसे तो बाद में पता चला था कि वहां झगड़ा हो गया था।

12– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पी डब्ल्यू 05 गोपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में उनके गाँव के रामखिलाड़ी व रामहेत के बीच जमीन की बात को लेकर झगड़ा होना, जो बात उसने गाँव में सुनी जाना, पुलिस का वहां पर आना व रामहेत के भाई लल्याराम द्वारा उसे फोन कर राजीनामा हो जाने के बारे में बताया जाना कथित किया है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि रामहेत को रामखिलाडी के लिये कुछ जमीन देनी है, तो उसी बात को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसने कोई झगड़ा नहीं देखा। झगड़े की बात उसे झगड़े से 05 दिन बाद पता चली थी।

13– इस प्रकार उपर्युक्त परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 01 रामखिलाडी जो परिवादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में रामहेत द्वारा उसकी जमीन में पत्थर गाड़ने व जे सी बी से मिट्टी को उठाना तथा मना करने पर रामहेत द्वारा परिवादी के साथ मारपीट किया जाने की साक्ष्य दी है, परन्तु उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत कथन कर उसके साथ मारपीट लक्ष्मीनारायण, आशीष, रामसिंह वगैरह द्वारा किया जाना बताया है। गवाह के साथ अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार द्वारा मारपीट की गई हो ऐसा कोई कथन गवाह ने बचाव पक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर नहीं किया है। इस क्रम में पत्रावली पर परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में गवाह पी डब्ल्यू 05 गोपाल परीक्षित हुआ है, जो अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी अनुसार रामखिलाडी व रामहेत के मध्य झगड़ा होना तो स्वीकार

करता है, परन्तु गवाह उक्त बात गाँव में सुनी जाने का कथन करता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह यह भी स्वीकार करता है कि उसने कोई झगड़ा नहीं देखा था। उसे झगड़े की बात 05 दिन पता चली थी। परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 04 हेता भी अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए स्वयं और अपने पिताजी का खेत पर जाना और उस उस अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार द्वारा उसके पिताजी के पत्थर की मारी जाना अवश्य बताया है, परन्तु उक्त गवाह भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के इतर कथन कर इस सुझाव को सही बताती है कि वह उस समय वहां नहीं थी। इसके अतिरिक्त गवाह यह स्वीकार करती है कि उसे तो बाद में पता चला था कि वहां झगड़ा हो गया था। इस प्रकार परीक्षित तीनों साक्षीगण पी डब्ल्यू 01 रामखिलाडी जो परिवादी है, की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई तथा स्वतंत्र साक्षीगण पी डब्ल्यू 04 हेता मीना व पी डब्ल्यू 05 गोपाल, जो उनकी साक्ष्य में कहे गये कथनानुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहे है, की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं हुआ है।

14– इसके अतिरिक्त परीक्षित साक्षी हरफूल पी डब्ल्यू 02 ने भी मौखिक साक्ष्य के दौराने अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं है। उक्त साक्षी दौराने मौखिक साक्ष्य पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपनी साक्ष्य में स्वयं द्वारा रामखिलाड़ी के साथ कोई लड़ाई–झगड़ा व मारपीट नहीं देखने के कथन किए है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि पुलिस वालों ने उसका नाम बिना जानकारी के लिख दिया है, जबकि उसे घटना के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी के उक्त कथनों से भी अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं हुआ है।

15– इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 06 नरेन्द्र सिंह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह अपनी मौखिक साक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान कर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की ताईद करते हुये अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने की साक्ष्य देता है, किन्तु प्रकरण में परीक्षित घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण व अन्य साक्षीगण ने अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्णतया समर्थन पूर्वोक्त विवेचन के आधार पर नहीं किया है व अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 06 नरेन्द्र सिंह की साक्ष्य की संपुष्टि घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण से होना अपेक्षित है जिस कारण से मात्र अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 06 नरेन्द्र सिंह की साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की जाकर सदोष अवरोध कारित किया।

16– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी डब्ल्यू 07 डॉ. चेन सिंह की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मजरूब रामखिलाडी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जाना बताते हुये आहत रामहेता उर्फ रामावतार के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 की ताईद की है। परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 01 रामखिलाडी ने भी अपनी साक्ष्य में मारपीट से उसके चोटें आना व स्वयं की चोटों का मेडिकल होना बताया है।। इस प्रकार आहत रामखिलाड़ी के शरीर पर मारपीट में चोटें आना अखण्डित रहता है, परन्तु आहत के उक्त चोटें अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार द्वारा मारपीट करने से कारित हुयी है,ऐसा कोई तथ्य उपर्युक्त विवेचन के अनुसार परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार केवल मात्र चिकित्सकीय साक्षी पी डब्ल्यू 07 डॉ. चैनसिंह द्वारा आहत रामखिलाडी के चोट प्रतिवेदन में बताई गई चोटों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 में वर्णित चोटें अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार द्वारा आहत रामखिलाडी के साथ मारपीट करने से कारित हुई हो।

17– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से साक्षी पी डब्ल्यू 02 है जो अपनी साक्ष्य में रामखिलाडी के खेत पर रामखिलाडी और रामावतार के बीच में लड़ाई झगड़ा होना व पुलिस वालों द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया जाना, जिसके सुसंगत भागों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, परन्तु उक्त गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में कहे गए कथनों पर तटस्थ नहीं रहा है व अपनी प्रतिपरीक्षा में जब झगड़ा हुआ उस समय पुलिस का मौके पर नहीं आना व पुलिस द्वारा उसके तीन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाना बताता है। इस प्रकार उक्त परीक्षित साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं होता है।

18– इसी प्रकार परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 08 गौतम भी अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में रामहेत द्वारा उसके ताउजी रामखिलाडी के साथ की गयी मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया जाना, जिसके सुसंगत भागों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, परन्तु उक्त गवाह भी अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त कथनों की ताईद नहीं करता है व कथन करता है कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। इस प्रकार उक्त साक्षी के उक्त कथनों से भी अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं हुआ है।

19– इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र पूर्वाक्त विवेचन से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है कि दिनांक 09.07.2020 को समय सुबह 10.00 बजे के आसपास स्थान परिवादी रामखिलाड़ी की सूरजपुरा स्थित खातेदारी भूमि पर अभियुक्त द्वारा मिट्टी उठायी जाने व पत्थर गाड़ने पर जब परिवादी ने मना किया तो अभियुक्त ने परिवादी को स्वेच्छा रोक सदोष अवरोध कारित कर परिवादी

के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की हो। जहाँ तक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है तो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

20– अतः अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार पुत्र गंगासहाय मीना उम्र 39 वर्ष निवासी– सूरजपुरा थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान को आरोपित अपराध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

21– परिणामतः अभियुक्त रामहेता उर्फ रामावतार पुत्र गंगासहाय मीना उम्र 39 वर्ष निवासी–सूरजपुरा थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22– अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् 10,000–10,000/–रूपये के जमानत–मुचलके प्रस्तुत करे।

(पुलकित शर्मा)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय दौसा,
जिला दौसा राजस्थान

23– निर्णय आज दिनांक 01.08.2026 को विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(पुलकित शर्मा)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय दौसा,
जिला दौसा राजस्थाने

Pulkit Sharma. R.J.S.
UID No. RJ01446
01.08.2026